संशोधन अधिनियम, 2010
अनुदेश संख्या 01 (हितलाभ)
दूरभाष Phone : 23234092
फैक्स Fax : 23234537
टॉल फ्री : 1800-11-2526

"निगम हिन्दी पत्राचार का स्वागत करता है"

मुख्यालय,कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation
आई एस ओ 9001:2000 प्रमाणित ISO 9001:2000 certified
पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग,नई दिल्ली 110002
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002
www.esic.nic.in

संख्याः एन-12/13/2003-हित.2 दिनांकः 16.06.2010

सभी क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक
वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त/चिकित्सा अधीक्षक
क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय/प्रभागीय कार्यालय,
क.रा.बी.अस्पताल,
क.रा.बी.निगम

विषयः कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन)अधिनियम, 2010 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में संशोधन ।

महोदय/महोदया,

भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2 खण्ड-1 दिनांक 25 मई, 2010 में प्रकाशित कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा कारखानों अथवा स्थापनों की छूट से संबंधित उपबंधों के संबंध में क.रा.बी.अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं ।

1. अधिनियम की धारा 87 में, निम्नलिखित परन्तुक अंत में अंतःस्थापित किए गए हैं, नामतः-

   "बशर्ते कि ऐसी छूट केवल ऐसे कारखानों अथवा स्थापनों को प्रदान की जाए जिनके कर्मचारियों को अन्यथा इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले हितलाभों के तत्वतः समान अथवा उच्च हितलाभ प्राप्त हो रहे है :-

   बशर्ते कि नवीनीकरण का आवेदन छूट की अवधि की समाप्ति की तारीख से तीन महीने पहले किया जाए तथा समुचित सरकार द्वारा उस पर निर्णय ऐसे आवेदन की प्राप्ति के दो महीने के भीतर लिया जाए ।"

2. अधिनियम की धारा 91क में "या तो भविष्य लक्षी प्रभाव से अथवा भूत लक्षी प्रभाव से," शब्दों के लिए "भविष्य लक्षी प्रभाव से " शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं ।

3. इसके अतिरिक्त, धारा 91कक आरंभ की गई है जो निम्नानुसार पठित है :-

"91कक इस अधिनियम में कुछ भी उल्लिखित बात उन राज्यों, जहां चिकित्सा हितलाभ निगम द्वारा प्रदान किया जाता है,में स्थित स्थापनों के संबंध में केंद्रीय सरकार समुचित सरकार होगी ।"

उपर्युक्त संशोधन 01.06.2010 से प्रभावी है ।

आपसे निवेदन है कि कारखाने अथवा स्थापन की छूट के लिए संबंधित राज्य सरकार को अपनी टिप्पणी देते समय उपर्युक्त उपबंधों का ध्यान रखा जाए । क्षेत्रीय निदेशकों /प्रभारी संयुक्त निदेशकों से यह निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा जारी छूट संबंधी अधिसूचना की एक प्रति, यदि कोई हो, इस कार्यालय को सूचना और रिकार्ड के लिए भेजें ।

भवदीय,

(सतपाल सहगल)
सहायक निदेशक(हितलाभ)

प्रतिलिपि:-

1. महानिदेशक/वित्त आयुक्त/बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी/अपर आयुक्त(का.एवं प्रशा.) के निजी सचिव ।
2. मुख्यालय के सभी अधिकारी ।
3. मुख्यालय की सभी शाखाएं ।
4. राजभाषा शाखा, मुख्यालय ।
5. संयुक्त निदेशक(प्रणाली) को इस अनुरोध के साथ कि इसे वेबसाइट पर अपलोड करें ।

सहायक निदेशक(हितलाभ)